परिशिष्ट ।।

राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा के साथ–साथ लेखाओं के सम्बन्ध में लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को विलम्ब से रखने के कारण

1. वित्तीय वर्ष 2009–2010 का लेखा 31.03.2010 को समाप्त हुआ। लेखा का समाधान अगस्त 2010 में सम्पन्न हुआ। खातों की लेखा–परीक्षा सितम्बर 2010 में शुरू हुई और अक्टूबर 2010 के मध्य में पूर्ण हुई। लेखा परीक्षक ने अपनी अन्तिम अंकेक्षण रिपोर्ट अक्टूबर 2010 के अन्तिम सप्ताह में जमा की।

1. परिक्षित लेखा खाते तथा अंकेक्षण रिपोर्ट को राष्ट्रीय महिला कोष की शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत करना अपेक्षित था। शासी निकाय की आगामी बैठक 18.03.2011 (पूर्वाध्य) को हुई जिसमें लेखा खातों को अनुमोदित किया गया।

2. तत्पश्चात, परीक्षित लेखा तथा वार्षिक प्रतिवेदन का प्रारूप दिनांक 18.03.2011 (मध्यार्द्ध) को वार्षिक आमसभा की बैठक में प्रसतुत किया गया। वार्षिक आम सभा ने वर्ष 2009–2010 के वार्षिक प्रतिवेदन प्रारूप तथा परीक्षित लेखा को स्वीकार करते हुए अनुमोदित किया।

3. उपर्युक्त कारणों से राष्ट्रीय महिला कोष के वर्ष 2009–2010 के परीक्षित लेखा तथा वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।

अधिप्रमाणित

कृष्णा तीरथ
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

दिनांक